**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1189**

**(जिसका उत्तर शनिवार, 19 सितंबर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया गया)**

**एस.पी.आई.सी.ई. पोर्टल को शुरू करना**

**1189. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः**

**श्री विनोद कुमार सोनकरः**

**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः**

**श्री भोला सिंहः**

**डॉ. जयंत कुमार रायः**

**डॉ. सुकान्त मजूमदारः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने शीघ्रता से कंपनियां शुरू करने के लिए कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (एसपीआईसीई) प्लस 10 इन 1 फॉर्म शुरू किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भारत में व्यापार शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं की संख्या और लगने वाला समय अन्य देशों की तुलना में अधिक है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में व्यापार करने के लिए समय और लागत को कम करने के सुधार हेतु तत्काल आवश्यकता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

**(क) से (घ):** भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) पहलों के एक भाग के रूप में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अधिसूचना संख्या सा.का.नि. संख्या 128 तारीख 18.02.2020 (23.02.2020 से प्रभावी) के माध्यम से 'स्पाइस+' नामक एक वेब प्ररूप 'स्पाइस+' (उच्चरित 'स्पाइस प्लस') को अधिसूचित और प्रसारित किया है। स्पाइस+ वेब प्ररूप तीन केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग) तथा एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) और विभिन्न बैंकों द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में कोई व्यवसाय आरंभ करने के लिए अनेक क्रियाविधियों, समय और लागत की बचत होती है। ये 10 सेवाएं है (i) नाम आरक्षण (ii) निगमन (iii) डिन आवंटन (iv) पैन का अनिवार्य रूप से जारी करना (v) टैन का अनिवार्य रूप से जारी करना (vi) ईपीएफओ रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य रूप से जारी करना (vii) ईएसआईसी रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य रूप से जारी करना (viii) व्यवसाय कर रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य रूप से जारी करना (महाराष्ट्र) (ix) कंपनी के लिए बैंक खाते का अनिवार्य रूप से खोलना और (x) जीएसटीआईएन का आवंटन (यदि इसके लिए आवेदन किया है)। प्रयोक्ता प्रथम नाम आरक्षण के लिए या तो भाग-क प्रस्तुत करने का विकल्प चुन सकते है और इसके पश्चात् निगमन और अन्य रजिस्ट्रीकरणों के लिए भाग-ख या एक नई कंपनी के निगमन के लिए और उक्त रजिस्ट्रीकरणों के लाभ प्राप्त करने के लिए एक साथ भाग क और ख फाइल कर सकते हैं। नया वेब प्ररूप कंपनियों के समेकित निगमन के लिए ऑन स्क्रीन फाइलिंग तथा वास्तविक डाटा समेकन की सुविधा प्रदान करता है।

उक्त नए वेब प्ररूप के प्रारंभ के पश्चात्, क्रियाविधियों की संख्या पूर्ववर्ती 10 से घटाकर 3 कर दी गई है और देश में कोई व्यवसाय आरंभ करने के लिए समय भी पूर्व में निर्धारित 18 दिवस के बजाए घटाकर 4 दिवस कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, तारीख 18.03.2019 से प्रभावी अधिसूचना संख्या 180(अ) तारीख 06.03.2019 के माध्यम से, इस मंत्रालय ने कंपनी (निगमन) नियम, 2014 को संशोधित किया है जिसके परिणामस्वरूप शून्य शुल्क 15 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी अथवा 20 सदस्यों तक जहां कोई शेयरपूंजी लागू नहीं है, के साथ सभी कंपनियों के निगमन के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

*******